हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

1– प्रकाशन शाखा द्वारा किस प्रकार की सामग्री मुद्रित करवाई जाती है?

(i) प्रकाशन शाखा द्वारा प्रत्येक शैक्षिक–सत्र के आरम्भ में कक्षा नौंवीं से बारहवीं तक की पाठ्य–पुस्तकें मुद्रित करवाई जाती हैं, जो कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा के सहयोग से निविदा तैयार करते हुए विभिन्न मुद्रकों से प्राप्त दरों का निर्धारण हाईपावर्ड परचेज कमेटी से करवाने उपरांत न्यूनतम दर पर मुद्रित करवाई जाती है।

(ii) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य निविदा के माध्यम से करवाया जाता है।

(iii) बोर्ड कार्यालय के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के फॉर्म, रजिस्टर, लिफाफे एवं फाईल कवर इत्यादि का मुद्रण कार्य निविदा के माध्यम से करवाया जाता है।

2– बोर्ड कार्यालय द्वारा जो पुस्तकें मुद्रित करवाई जाती हैं उनको प्राप्त करने का क्या प्रावधान है?

बोर्ड कार्यालय द्वारा मुद्रित करवाई जाने वाली पाठ्य–पुस्तकें हरियाणा राज्य में बोर्ड कार्यालय से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड कार्यालय के पांच क्षेत्रीय पाठ्य–पुस्तक बिक्री सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। विद्यार्थी यह पुस्तकें पुस्तक–विक्रेताओं से खरीद सकते हैं।